हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री शैलेन्द्र पुत्र श्री छीतरमल चौधरी, निवासी– वार्ड नं. 14 सुराणी बाजार श्रीमाधोपुर सीकर, मैसर्स– ज्योति ट्रेडिंग कम्पनी सुराणी बाजार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, उपस्थित हुये। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 27.10.2016 को समय 02:40 पी.एम. पर श्रीमाधोपुर–सीकर में निरीक्षण के लिए मैसर्स– ज्योति ट्रेडिंग कम्पनी सुराणी बाजार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, पर पहुंचा। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स– ज्योति ट्रेडिंग कम्पनी, में अप्रार्थी श्री शैलेन्द्र, घी(गौरव) का विक्रय कर रहा था। विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उनका नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम बताया। श्री शैलेन्द्र से वर्ष 2016 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो विक्रेता ने मौके पर खाद्य लाइसेंस वर्ष 2016 होना बताया व दिखाया।

फर्म पर श्री शैलेन्द्र, द्वारा घी(गौरव) का विक्रय किया जा रहा था। मैसर्स पर उपलब्ध 16X1 लीटर घी(गौरव) में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। वास्ते नमूना जांच, 4X1 लीटर घी(गौरव) मूलं कम्पनी पैक में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 1320 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **घी (गौरव),** मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ पाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया एवं प्रकरण में अप्रार्थी के कारोबार को देखते हुये कम से कम जूर्मना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म लिखित में कबूल किया एवं कम से कम जूर्माना लगाने का अनुरोध किया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ–611 खाद्य पदार्थ घी(गौरव) का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण मिथ्याछाप घी(गौरव) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) का उल्लघंन पाया गया। अप्रार्थी द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने से भी जुर्म कि गम्भीरता कम नहीं हो जाती है। यह कृत्य लोगो के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थीगण को 50,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में [illegible] जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पे[illegible] जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के [illegible] कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आ[illegible] 25.1.2022 [illegible] सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल [illegible]र हो।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी, सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:00:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner